

प्रेषक,

डा० बलकार सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 28 मार्च, 2018

विषय:- साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य किये जाने सम्बन्धी उ०प्र०
उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन।

M/M/HO/होदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में जनसामान्य को मिट्टी के उपयोग में आ रही कठिनाईयों के निराकरण और विकास कार्यों में मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से साधारण मिट्टी/साधारण मृदा की रायल्टी दर शून्य कर दी गयी है और तदनुसार उ०प्र० उपखनिज (परिहार) (45वां संशोधन) नियमावली, 2018 अधिसूचना संख्या-641/86-2018-153(सामान्य)/2017, दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्रख्यापित कर दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

सलग्नक-यथोक्त।

भूतत्व,

(डा० बलकार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- /86-2018-तददिनांक:

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
 2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
 3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
 4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
 5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
 6. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० लखनऊ)
 7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
संख्या: 641/88-2018-153(सा0)/2017
लखनऊ, दिनांक 23 मार्च, 2018

अधिसूचना

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2018

- सक्षिप्य नाम और प्रारम्भ प्रथम अनुसूची का संशोधन
- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पैतालिसवां संशोधन) नियमावली 2018 कही जायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
 2. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :-

क्र०	खनिज	स्तम्भ-1 विद्यमान प्रथम अनुसूची (नियम-21 देखिये)		खनिज	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची (नियम-21 देखिये)	
		रदाभित्य (सायट्टी) की दर	रु० प्रति घनमीटर		रदाभित्य (सायट्टी) की दर	रु० प्रति घनमीटर
1	चूना पत्थर	रु० 150.00	1 प्रति घनमीटर	चूना पत्थर	रु० 275.00	1 प्रति घनमीटर
2	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु० 200.00	2 प्रति घनमीटर	मार्बल या मार्बल चिप्स (संगमरमर)	रु० 405.00	2 प्रति घनमीटर
3	ईट बनाने की मिट्टी	रु० 54 प्रति हजार	3 बनी ईट	ईट बनाने की मिट्टी	रु० 54 प्रति हजार	3 बनी ईट
4	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	रु० 5000.00	प्रति घनमीटर	ईमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)	रु० 5000.00	प्रति घनमीटर
	(i) ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेट्रल स्टोन)	रु० 5000.00	प्रति घनमीटर	(i) ग्रेनाइट (साइज्ड डायमेट्रल स्टोन)	रु० 5000.00	प्रति घनमीटर
	(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु० 5000.00	प्रति घनमीटर	(क) एक मीटर या ऊपर के साइज के	रु० 5000.00	प्रति घनमीटर
	(ख) एक मीटर या नीचे के साइज के	रु० 3000.00	प्रति घनमीटर	(ख) एक मीटर या नीचे के साइज के	रु० 3000.00	प्रति घनमीटर

मुख्य सचिव
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
लखनऊ, दिनांक 23/03/2018

2

(ii) स्लैब्स और अरलर सहित साइज्ड डायगोनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 850.00 प्रति घन मीटर	(ii) स्लैब्स और अरलर सहित साइज्ड डायगोनल स्टोन (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 850.00 प्रति घन मीटर
(iii) गिल स्टोन व हाथ घक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 600.00 प्रति घन मीटर	(iii) गिल स्टोन व हाथ घक्की (सैण्ड स्टोन, क्वार्टजाइट)	रु० 600.00 प्रति घन मीटर
(iv) खण्डास और बोल्डर		(iv) खण्डास और बोल्डर	
(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25X25X25) सेमी० तक	रु० 125.00 प्रति घनमीटर	(क) ग्रेनाइट व डोलो स्टोन (25X25X25) सेमी० तक	रु० 125.00 प्रति घनमीटर
(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट (25X25X25) सेमी० तक	रु० 100.00 प्रति घनमीटर	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट (25X25X25) सेमी० तक	रु० 100.00 प्रति घनमीटर
(v) बैलास्ट (गिट्टी)		(v) बैलास्ट (गिट्टी)	
(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रु० 160.00 प्रति घनमीटर	(क) ग्रेनाइट और डोलोस्टोन	रु० 160.00 प्रति घनमीटर
(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट	रु० 110.00 प्रति घनमीटर	(ख) सैण्ड स्टोन और क्वार्टजाइट	रु० 110.00 प्रति घनमीटर
(ग) स्टोन डस्ट	रु० 100.00 प्रति घनमीटर	(ग) स्टोन डस्ट	रु० 100.00 प्रति घनमीटर
5. गौरम		5. गौरम	
(क) नदी तल में उपलब्ध	रु० 150.00 प्रतिघन मीटर	(क) नदी तल में उपलब्ध	रु० 150.00 प्रतिघन मीटर
(ख) पहाड़ों के ढरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	रु० 75.00 प्रतिघन मीटर	(ख) पहाड़ों के ढरण के फलस्वरूप उत्पन्न लाल मौरम	रु० 75.00 प्रतिघन मीटर
6. साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)		6. साधारण बालू (विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाले बालू से भिन्न)	
(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रु० 85.00 प्रति घनमीटर	(क) प्रथम श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रु० 85.00 प्रति घनमीटर
(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रु० 55.00 प्रति मीटर घन	(ख) द्वितीय श्रेणी, (अनुसूची-दो में उल्लिखित जनपदों में उपलब्ध)	रु० 55.00 प्रति मीटर घन
7. बजरी (सिंगिल)	रु० 110.00 प्रति मीटर घन	7. बजरी (सिंगिल)	रु० 110.00 प्रति मीटर घन
8. साधारण मृदा (आरडिनरी ग्ले) अथवा साधारण गिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	रु० 30.00 प्रति मीटर घन	8. साधारण मृदा (आरडिनरी ग्ले) अथवा साधारण गिट्टी (आरडिनरी अर्थ)	रु० 30.00 प्रति मीटर घन
9. पायरोफिलाइट	रु० 300.00 प्रति टन	9. पायरोफिलाइट	रु० 300.00 प्रति टन
10. डायस्पोर	रु० 500.00 प्रति टन	10. डायस्पोर	रु० 500.00 प्रति टन

(रु० ५००.०० प्रति घन मीटर)
 अतिरिक्त
 भूखण्ड २०१०-११ का विभा.
 २०१०-११

595-

2

11.	सिलिका सैण्ड	₹ 100.00 प्रति टन	11.	सिलिका सैण्ड	₹ 100.00 प्रति टन
12.	घाइना बले	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत	12.	घाइना बले	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत
13.	कैलसाइड	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत	13.	कैलसाइड	खान पर खनिज मूल्य का 12 प्रतिशत
14.	गर्वाटज	₹ 100.00 प्रति टन	14.	गर्वाटज	₹ 100.00 प्रति टन
15.	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर विक्री मूल्य का 10 प्रतिशत	15.	कोई अन्य उपखनिज जिसके लिये स्वामित्व की दर विनिर्दिष्ट नहीं है।	खान पर विक्री मूल्य का 10 प्रतिशत

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

(राज प्रताप सिंह कायम)
अपर मुख्य सचिव
विद्युत एवं खनिज विभाग
उत्तराखण्ड सरकार।